संख्या-56/2024/362/001-23-9-2024-23-9002-002-53-2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2024

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के 14 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित विभिन्न तिथियों के पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 14 कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 3,75,89,000/- (रूपये तीन करोड पचहत्तर लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियंता (मु0-1) लो0नि0 वि0 का पत्र | खण्ड/ जनपद का नाम | मार्ग का नाम | स्वीकृति का शासनादेश संख्या | निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत/कुल स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/ | बचत | बचत की उपरान्त कार्य की लागत | अब तक आवंटन | अवशेष | वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 7702/CE-HQ1/RIDF27VR/LKO/2023-24 Dt- 17-02-2024 | उन्नाव | लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के किमी 9 से सर्विस रोड से अताउल्लाहनगर संपर्क मार्ग। | 167/2022/1448/23-9-2022-12नाबार्ड-स0मा0-19टीसी1-दिनांक-16-11-2022 | 105.17<br>9.60<br>114.77<br>114.77 | 0.18 | 114.59 | 101.21 | 13.38 | 3.78 |
| 2 | 7454/CE-HQ1/RIDF27VR/LKO/2023-24 Dt- 20-01-2024 | हरदोई | चैनपुर भोगियापुर मार्ग से कटाईपुरवा संपर्क मार्ग। | 02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9-दिनांक-05-01-2022 | 196.19<br>18.08<br>214.27<br>214.27 | 15.30 | 198.97 | 159.49 | 39.48 | 21.40 |
| 3 | 7469/CE-HQ1/RIDF27VR/LKO/2023-24 Dt- 25-01-2024 | फतेहपुर | हरकरनपुर संपर्क मार्ग | 46/2023/507/23-9-2023/001-23-9002(001)/6/2022 - दिनांक-03-03-2023 | 117.34<br>10.74<br>128.08<br>128.08 | 3.00 | 125.00 | 3.50 | 121.58 | 110.84 |
| 4 | 7469/CE-HQ1/RIDF27VR/LKO/2023-24 Dt- 25-01-2024 | प्रयागराज | पिलखुआ(बड़का पुरवा) संपर्क मार्ग। | 45/2023/506-23-9-2023/001-23-9002(002)/22/2022-दिनांक-03-03-2023 | 60.88<br>5.57<br>66.45<br>66.45 | 13.76 | 52.69 | 38.36 | 14.33 | 8.76 |
| 5 | 7469/CE-HQ1/RIDF27VR/LKO/2023-24 Dt- 25-01-2024 | प्रयागराज | मोहम्मदपुर सराय अली से पश्चिम का पुरवा संपर्क मार्ग। | 45/2023/506-23-9-2023/001-23-9002(002)/22/2022-दिनांक-03-03-2023 | 108.14<br>9.90<br>118.04<br>118.04 | 23.38 | 94.66 | 68.99 | 25.67 | 15.77 |
| 6 | 8033/CE- | बलिया | उसरौली से आशापुर | 02/2022/आई0/29265 | 75.70<br>6.90 | 0.07 | 82.53 | 2.77 | 79.76 | 55.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HQ1/RIDF27VR /AZM/2023-24 Dt- 15-03-2024 | | पूरब टोला संपर्क मार्ग | /2022/लोक निर्माण अनुभाग-9-दिनांक-05-01-2022 | 82.60<br>82.60 | | | | | |
| 7 | 7808/CE-HQ1/RIDF28VR /LKO/2023-24 Dt- 26-02-2024 | हरदोई | माधौगंज मटियामऊ मार्ग से करीमपुरवा संपर्क मार्ग | 42/2023/503/23-9-2023/001-23-9002(99)/1/2022 - दिनांक-03-03-2023 | 113.35<br>10.37<br>123.72<br>123.72 | 0.19 | 123.53 | 92.02 | 31.51 | 21.14 |
| 8 | 8034/CE-HQ1/RIDF27VR /LKO/2023-24 Dt- 26-02-2024 | अम्बेडकर नगर | नेवादा बन्दीपुर कटका सेमरा मार्ग(अजिमा) के किमी 5 से किशुनपुर कबिरहा संपर्क मार्ग के किमी 1 से दाएं तरफ प्रतापपुर कला दलित बस्ती संपर्क मार्ग। | 167/2022/1448/23-9-2022-12नाबार्ड-स0मा0-19टीसी1-दिनांक-16-11-2022 | 119.68<br>10.92<br>130.60<br>130.60 | 22.03 | 108.57 | 79.74 | 28.83 | 17.91 |
| 9 | 8035/CE-HQ1/RIDF27VR /GON/2023-24 Dt- 15-03-2024 | बहराइच | बहराइच कटाईघाट (अजिमा) के किमी 19 से निकलने वाले मुसल्लमपुर संपर्क मार्ग किमी 3 से पाठक पुरवा रखौना संपर्क मार्ग किमी 1 से मुडकटिया द्वितीय संपर्क मार्ग | 167/2022/1448/23-9-2022-12नाबार्ड-स0मा0-19टीसी1-दिनांक-16-11-2022 | 125.06<br>11.62<br>136.68<br>136.68 | 0.09 | 136.59 | 120.48 | 16.11 | 4.49 |
| 10 | 8035/CE-HQ1/RIDF27VR /GON/2023-24 Dt- 15-03-2024 | श्रावस्ती | राजस्व ग्राम गोड़पुरवा की बसावट तेलीपुरवा (ऊंचेपुरवा) संपर्क मार्ग | 02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9-दिनांक-05-01-2022 | 70.55<br>6.44<br>76.99<br>76.99 | 9.16 | 67.83 | 60.13 | 7.70 | 1.26 |
| 11 | 8036/CE-HQ1/RIDF28VR /PRJ/2023-24 Dt- 15-03-2024 | प्रयागराज | चिपीहा बस्ती संपर्क मार्ग। | 42/2023/503/23-9-2023/001-23-9002(99)/1/2022 - दिनांक-03-03-2023 | 70.51<br>6.45<br>76.96<br>76.96 | 3.00 | 73.96 | 4.68 | 69.28 | 62.83 |
| 12 | 8037/CE-HQ1/RIDF28VR /LKO/2023-24 Dt- 15-03-2024 | खीरी | बसंतापुर डाईवर्जन मार्ग(अजिमा) के किमी 12 से खरवहिया नं 1 होते हुए बाजारपुरवा संपर्क मार्ग के किमी 1 से दुर्गापुर (राजस्व ग्राम चकनापुर) संपर्क मार्ग। | 46/2023/507/23-9-2023/001-23-9002(001)/6/2022 - दिनांक-03-03-2023 | 141.66<br>13.10<br>154.76<br>154.76 | 1.17 | 153.59 | 114.27 | 39.22 | 26.22 |
| 13 | 8092/CE-HQ1/RIDF29VR /ADY/2023-24 Dt- 18-03-2024 | सुल्तानपुर | तिवारीपुर(चन्दौर) सम्पर्क मार्ग। | 256/2023/1176(6)/001-23-9002 (002)/5/2022 -दिनांक-03-03-2023 | 64.25<br>5.88<br>70.13<br>70.13 | 3.99 | 66.14 | 51.40 | 14.74 | 8.86 |
| 14 | 8130/CE-HQ1/RIDF28VR /LKO/2023-24 Dt- 19-03-2024 | हरदोई | कुतुबापुर एकघरा मार्ग से सढियनपुरवा संपर्क मार्ग। | 42/2023/503/23-9-2023/001-23-9002(99)/1/2022 - दिनांक-03-03-2023 | 149.08<br>13.78<br>162.86<br>162.86 | 6.46 | 156.40 | 116.06 | 40.34 | 17.63 |
| | | | योग | | | | | | | **375.89** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,75,89,000/- (रूपये तीन करोड पचहत्तर लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-58 **लेखा शीर्षक 5054043376400** नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना)**मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या:-56/2024/362(1)/001-23-9-2024-23-9002-002-53-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।